(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 34/2020-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड, (i) में प्रकाशित किया गया था, में, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(1) प्रथम परंतुक में, उपवाक्य (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ड.) उक्त सारणी के क्रम संख्या 21ड. और 21च के समक्ष विनिर्दिष्ट वस्तुएं,-

(i) 1 सितम्बर, 2020 से 17 सितम्बर, 2020 के दौरान;और

(ii) 31 अक्तूबर, 2020 के पश्चात ।";

(2) दूसरे परन्तुक में अंक और अक्षर "21घ", के पश्चात अंक और अक्षर "21ड.", को अंत:स्थापित किया जाएगा ।

[फाइल संख्या 354/368/2017-टीआरयू]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 7 सितम्बर, 2020, जिसे सा.का.नि. 547(अ), दिनांक 7 सितम्बर, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।